राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(42)आरबी / 2018 / 9415 दिनांक : 14 दिसम्बर, 2019

कार्यवाही विवरण

सचिव, राज्यपाल, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण एवं वित्तनियंत्रकगण के साथ पूर्व निर्धारित एजेण्डा बिंदुओं पर चर्चा एवं क्रियान्विति पालना रिपोर्ट की समीक्षा हेतु राजभवन में दिनांक 11.12.2019 को अपराह्न 3.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. राजभवन की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्नक –1 पर संलग्न है।
2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने राजभवन के विश्वविद्यालय अनुभाग की ओर से आयोजित चतुर्थ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी कुलसचिवगण / वित्त नियंत्रकगण का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल द्वारा भी सभी का स्वागत किया गया एवं बिन्दुवार एजेन्डा पर चर्चा आरम्भ की गई। प्रत्येक एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गई एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये ।
3. वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की गई चर्चा एवं एजेण्डा बिंदुवार निर्देश का विवरण निम्नानुसार है –

   i. **विश्वविद्यालयों के निधि के निवेश संबंधी राज्य सरकार एवं राजभवन के दिशा–निर्देशों की पालना** – वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के निधि के निवेश के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 02.07.2018 एवं दिनांक 25.11.2019 को जारी किये गये। राजभवन द्वारा इस संबंध में दिनांक 29.11.2019 को पत्र जारी कर निर्धारित प्रोफॉर्मा में निवेश बाबत सूचना चाही गयी, जिसके प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचना की समीक्षा की जाकर निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये है –

      - जिन विश्वविद्यालयों के पीडी खाते नहीं है वे पीडी खाते खुलवाने बाबत नियमानुसार कार्यवाही करें।
      - विश्वविद्यालय पीडी (ब्याज सहित) खाते खोलने के संबंध में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करें।
      - विश्वविद्यालय निधि के निवेश के संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय की निधि राष्ट्रीयकृत बैंकों / वित्त विभाग द्वारा अनुमत बैंक खातों में ही करें जिससे कि कर्मचारियों की राशि सुरक्षित रहें।

- जिन विश्वविद्यालयों ने प्राइवेट बैंकों में निवेश किया है, वे चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए इस निवेश को प्राइवेट बैंक से निधि राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्त विभाग द्वारा अनुमन्य बैंक/पीडी खातों में हस्तांतरित करें।
- इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट से राजभवन को **दिनांक 31.12.2019 तक** अवगत करावें।

ii. **स्मार्ट विश्वविद्यालय संबंधी कार्यवाही** – स्मार्ट विश्वविद्यालय के विभिन्न घटक एवं समान कियान्विति हेतु उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा की गई एवं विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे इस बाबत अपने प्रस्ताव राजभवन को **दिनांक 18.12.2019 तक** प्रेषित करे, जिससे कि राजभवन स्तर पर इस संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

iii. **विश्वविद्यालयों द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के AISHE पोर्टल पर सूचना अपलोड करने बाबत** – इस संबंध में राजभवन द्वारा सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को पत्र दिनांक 28.11.2019 को जारी किया गया था एवं प्रत्युत्तर में मात्र 9 विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय वर्ष 2018–19 का डेटा AISHE पोर्टल पर अपलोड कर राजभवन सचिवालय को **दिनांक 20.12.2019 तक** अवगत करायेंगे।

iv. **विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने के संबंध में** – विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के संबध में राजभवन द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि

- विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा हेतु कमेटी समय पर गठित कर ली जावे तथा तद्नुसार संशोधन कर नवीन पाठ्यक्रम सत्र आरंभ होने के पूर्व ड़ी विद्यार्थियों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जावें।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर इस संबधं में नोडल ऑफिसर नामित किया जावे जिससे राजभवन सभी पाठ्यक्रमों के अपडेशन के संबंध में सम्पर्क कर रिपोर्ट प्राप्त कर सके। नोडल ऑफिसर संबंधी जानकारी राजभवन को **दिनांक 18.12.2019 तक** प्रेषित की जावे।

v. **विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं नामांकित छात्रों के डेटा को आधार से लिंक करने बाबत** – प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने यहां तथा सभी constituent एवं affiliated महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा सभी छात्रों के डेटा को आधार से लिंक करने बाबत कार्यवाही करे।

vi. उक्त एजेण्डा बिंदुओं के अतिरिक्त निम्न दिशा निर्देश भी जारी किये –

- विश्वविद्यालय constituent एवं affiliated महाविद्यालयों की संख्या तथा नामांकित छात्रों की सटीक सूचना राजभवन सचिवालय को संलग्न प्रोफॉर्मा में **दिनांक 18.12.2019 तक** प्रेषित करें।
- देखने में आया है कि विश्वविद्यालयों में बडी मात्रा में कोर्ट केस लंबित है। जिनका प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय लंबित कोर्ट केस की संख्या तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पैनल संबंधी सूचना **दिनांक 18.12.2019 तक** राजभवन को प्रेषित करें (संलग्नक प्रोफॉर्मा–3)।
- विश्वविद्यालयों में रोस्टर निर्धारण संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जाकर राजभवन को **दिनांक 25.12.2019 तक** अवगत कराया जावे एवं मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर उपरोक्त सूचना **दिनांक 31.12.2019 तक** राजभवन को प्रेषित करावें।
- विश्वविद्यालय RTPP Act एवं RAPSAR Act की पालना संबंधी प्रमाण पत्र **दिनांक 18.12.2019 तक** राजभवन को प्रेषित करावें।
- विश्वविद्यालयों द्वारा कतिपय नवाचार किये जाते रहे हैं जिनमें से कुछ राजभवन परिसर में भी show case किये जा सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय इस तरह के विशिष्ट नवाचार चयन कर राजभवन को **दिनांक 18.12.2019 तक** प्रेषित करें जिससे ऐसे नवाचार जो राजभवन पर show case किये जा सके पर विचार किया जावेगा।
- विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि कुलसचिव की अनुपस्थिति में कुलसचिव पद का कार्यभार वित्त नियंत्रक को दिया जावें। पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर तुरंत प्रभाव से इस संबंध में कार्यवाही कर राजभवन को अवगत करावें। कोटा विश्वविद्यालय के कुलसचिव के प्रकरण में भी समान कार्यवाही की जाये।
- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कुलपति की अवकाश अवधि को देखते हुए कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि इस संबधं में राजभवन को रिपोर्ट **शीघ्र** प्रेषित करावे।
- विश्वविद्यालय अपने यहां खाली पडी जमीनों का सदुपयोग करें एवं ऐसी जमीनों का उपयोग सौर ऊर्जा प्लांट विकसित करने पर विचार करें।
- विश्वविद्यालय अपने यहां ऑनलाइन सर्विसेज का सिक्योरिटी ऑडिट करावें।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में डीन ऑफ नर्सिंग की नियुक्ति प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट राजभवन को **दिनांक 18.12.2019 तक** प्रेषित की जावे।

- सभी कुलपति सुनिश्चित करें कि वे तय सीमा में एवं अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश बाबत आवेदन करें तथा आवेदन राजभवन को अवकाश से पूर्व ही प्रेषित किया जावे।
- तकनीकी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय TEQIP के अंतर्गत प्राप्त फण्ड एवं उसके उपयोग संबंधी रिपोर्ट राजभवन को **शीघ्र** प्रेषित करें।

सचिव, राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में Integrated University Management System लागू किये जाने पर एक प्रस्ताव राजभवन के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव किया गया। सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि वे दिनांक 18.12.2019 तक Integrated University Management System संबंधी प्रस्ताव राजभवन को उपलब्ध करायेंगे तत्पश्चात् राजभवन द्वारा समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समापन सम्बोधन में प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता के प्रति गंभीर रूख से अवगत कराया गया एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की समयबद्ध पालना हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपतिगण व कुलसचिवगण आपस में समन्वय से कार्य करें।

सचिव, राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया गया कि आज की वीडियो कांफ्रेसिंग में लिये गये निर्णयों की पालना निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिष्चित किया जावे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

यह कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(योगेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा

क्रमांक : एफ.1(42)आरबी / 2018 / 9416 दिनांक : 14 दिसम्बर, 2019

कार्यवाही विवरण निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर
2. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान
3. निदेशक, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, राजभवन, जयपुर।
4. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. वित्त नियंत्रकगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (प्रथम), उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (द्वितीय), उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी (आई.टी.), राजभवन, जयपुर।
10. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा

संलग्नक–1

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. निदेशक, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, राजभवन, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (प्रथम) उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (द्वितीय) उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (आई.टी.) राजभवन, जयपुर।
8. अनुभागाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुभाग, राजभवन, जयपुर।

संलग्नक–2

विश्वविद्यालय का नाम –

क्र.सं.	constituent महाविद्यालयों की संख्या	affiliated महाविद्यालयों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या
1.			

कुलसचिव हस्ताक्षर

संलग्नक–3

विश्वविद्यालय का नाम –

क्र.सं.	लंबित कोर्ट केस की संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पैनल संबंधी सूचना (अधिवक्ताओं के नाम)
1.		

कुलसचिव हस्ताक्षर